10/2/25

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष अनु. प्रार्थना पत्र 212 RTA एवं दिनांक 26/06/24 को जारी की गई। निरस्त किया जाता है विस्तृत निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली नंबर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2024/404

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.02.12 11:12:11 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी सूरतगढ, जिला श्री गंगानगर .

पीठासीन अधिकारीः संदीप कुमार आर. ए. एस.

प्रकरण सं0 173/24 GCMS:-2024/404 दायर दिनांकः– 26–06–2024

1–विजयपाल पुत्र श्री दुलाराम } अकवाम स्वामी साकिनान 32 आर बी फकीरवाली
2–बिन्दु बाला पुत्री श्री दुलाराम } तहसील पदमपुर जिला श्री गंगानगर राज0

———— प्रार्थीगण

बनाम

1–दुलाराम पुत्र श्री ठाकरदास } अकवाम स्वामी साकिनान 32 आर बी फकीरवाली
2–प्रेमदास पुत्र श्री दुलाराम } तहसील पदमपुर जिला श्री गंगानगर राज0
3–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ

———— अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिकारी 1955

उपस्थित :–

1– श्री शिशपाल शर्मा अभिभाषक प्रार्थीगण।

2– श्री राजवीर भादू अभिभाषक अप्रार्थी नं0 1

–:– निर्णय –:– दिनांकः– 10·02·2025

आज पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई । अभिभाषकगण प्रार्थीगण , अप्रार्थी नं0 1 उपस्थित। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी न0 1 के नाम से कृषि भूमि वाके रोही टीलावाली के खाता सं0 39/39 खसरा न0 228/20 में 5.060 है0 बारानी खातेदारी भूमि एवं रोही टीलावाली के खसरा न0 120/3 में 5.060 है0 खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है । रोही टीलावाली के खसरा नं0 228/120 में 5.060 है0 बारानी भूमि हक प्रार्थीगण के दादा ठाकरदास द्वारा संयुक्त परिवार की आय से टी सी आवटन से पुख्ता आवटन अप्रार्थी न0 1 के नाम से करवाकर दिया जिसका अप्रार्थी न0 1 के नाम से इन्तकाल सं0 123 में दर्ज हुआ है व खसरा न0 120/3 में 5.060 है0 बारानी भूमि हम प्रार्थीगण के दादा ठाकरदास को टी सी आवटन हुई और ठाकरदास के फौत होने के उपरान्त उक्त भूमि का नवीनीकरण अप्रार्थी न0 1 के नाम से दर्ज हुआ जिसके आधार पर अप्रार्थी न0 1 के नाम से विरास्तन इन्तकाल स0 441 दिनांक 06–04–2016 को दर्ज हुआ है । इस प्रकार जैर प्रकरण अप्रार्थी न0 1 के नाम का तमाम रकबा पैतृक सम्पति है जिसमें हम प्रार्थीगण का 1/4, 1/4 हिस्सा भूमि जन्मजात बनता है । जैर प्रकरण रकबा अप्रार्थी न0 2 स्वअर्जित या खरीद शुदा रकबा नही है। अब दिनांक 20–06–2024 को हम प्रार्थीगण ने अप्रार्थी न0 1 को हमारे हिस्सा अनुसार रकबा नाम करवाने का कहा तो वो स्पष्ट इन्कार हो गया व अप्रार्थी न0 1 व 2 ने धमकी दी कि वो इस रकबा में से प्रार्थीगण को हिस्से दिये बगैर ही किसी अन्यत्र व्यक्ति को जैर प्रकरण रकबा का बेचान करेगें अगर अप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा जिसकी भरपाई रूपयों पैसो से होनी बड़ी मुश्किल है। इसलिये अप्रार्थीगण को दावा के निर्णय तक पाबन्द किया जावे कि वो [illegible] 39/39 की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 73 के खसरा न0 228/120 में 5.060 है0 बा[illegible] खात[illegible] भूमि व इसी रोही के खसरा न0 120/3 में 5.060 है0 बारानी कुल 10.120 है0 [illegible] भूमि में किसी तरह की दखलदाजी ना तो अप्रार्थीगण स्वयं करे व [illegible] किसी [illegible] व उक्त रकबा को रहन बैय या दिगर तरीके से हस्तान्तरण ना करे व रिकार्ड व मौका की य[illegible]स्थिति बनाये रखे जाने का निवेदन किया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.02.12 11:12:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड समन से तलब किया गया। अप्रार्थी नं0 1 जरिये अभिभाषक हाजिर हुआ तथा प्रार्थना–पत्र का जबाब प्रस्तुत किया गया। तथा अप्रार्थी न0 2 व 3 को जरिये रजिसटर्ड समन एवं साधारण समन से तामिल करवाई जा चुकी है तथा प्रार्थना–पत्र में अप्रार्थी न0 2 व 3 से किसी प्रकार का कोई अनुतोष नही है।

अभिभाषकगण की बहस सुनी गई । जिसमें प्रार्थी के अभिभाषक ने प्रार्थना–पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया अप्रार्थी न0 1 के नाम से कृषि भूमि वाके रोही टीलावाली के खाता सं0 39/39 खसरा न0 228/20 में 5.060 है0 बारानी खातेदारी भूमि एवं रोही टीलावाली के खसरा न0 120/3 में 5.060 है0 खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। रोही टीलावाली के खसरा नं0 228/120 में 5.060 है0 बारानी भूमि हक प्रार्थीगण के दादा ठाकरदास द्वारा संयुक्त परिवार की आय से टी सी आवटन से पुख्ता आवटन अप्रार्थी न0 1 के नाम से करवाकर दिया जिसका अप्रार्थी न0 1 के नाम से इन्तकाल सं0 123 में दर्ज हुआ है व खसरा न0 120/3 में 5.060 है0 बारानी भूमि हम प्रार्थीगण के दादा ठाकरदास को टी सी आवटन हुई और ठाकरदास के फौत होने के उपरान्त उक्त भूमि का नवीनीकरण अप्रार्थी न0 1 के नाम से दर्ज हुआ जिसके आधार पर अप्रार्थी न0 1 के नाम से विरास्तन इन्तकाल स0 441 दिनांक 06–04–2018 को दर्ज हुआ है। इस प्रकार जैर प्रकरण अप्रार्थी न0 1 के नाम का तमाम रकबा पैतृक सम्पति है जिसमें हम प्रार्थीगण का 1/4, 1/4 हिस्सा भूमि जन्मजात बनती है । अप्रार्थी न0 1 व 2 ने धमकी दी कि वो इस रकबा में से प्रार्थीगण को हिस्से दिये बगैर ही किसी अन्यत्र व्यक्ति को जैर प्रकरण रकबा का बेचान करेगें अगर अप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा जिसकी भरपाई रूपयों पैसो से होनी बड़ी मुश्किल है । इसलिये अप्रार्थीगण को दावा के निर्णय तक पाबन्द किया जावे कि वो जैरवाद भूमि में प्रार्थीगण के हिस्सा भूमि में किसी तरह की दखलदाजी ना तो अप्रार्थीगण स्वयं करे व ना ही किसी अन्य से करवाये व उक्त रकबा को रहन बैय या दिगर तरीके से हस्तान्तरण ना करे व मौका व रिकार्ड यथावत बनाये रखने एव रहन बेचान न करने की जाति निषेधाज्ञा को वाद–पत्र के निर्णय तक यथावत रखने का निवेदन किया । एवं न्यायिक दृष्टांत 2010 RBJ (17) 178, 2020 RBJ (27) 82, 2014 RRT (1)209 प्रस्तुत किये ।

अप्रार्थी न0 1 के अभिभाषक ने जबाब प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अप्रार्थी नं0 1 के नाम रोही टीलावाली के खाता सं0 39/39 खसरा न0 228/20 में 5.060 है0 बारानी एवं रोही टीलावाली के खसरा न0 120/3 में 5.060 है0 खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड दर्ज है जो जैरवाद भूमि स्वअर्जित सम्पति पर किसी के कोई भी अधिकार नही होते है। प्रार्थी न0 1 रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध स्थगन आदेश जारी नही किया जा सकता है । प्रार्थीगण संयुक्त हिन्दु परिवार का सदस्य नही है। प्रार्थी न0 1 का विवाह के पश्चात अलग रह रहे है। तथा प्रार्थी न0 2 अपने विवाह के बाद अपने ससुराल रह रही है। उक्त जैरवाद रकबा अप्रार्थी न0 1 को रोही टीलावाली के खाता सं0 39/39 के खसरा न0 228/20 में 5.060 है0 बारानी भुमि एवं रोही टीलावाली के खसरा न0 120/3 में 5.060 है0 अप्रार्थी न0 1 को आंवटन किया गया तथा डी कालोनी के तहत खातेदारी अधिकार सभी शर्तो की पूर्ति के पश्चात जारी किया गया जो अप्रार्थी न0 1 की स्वअर्जित सम्पति है। प्रार्थीगण के द्वारा मिथ्या [illegible] आधार पर अप्रार्थी न0 1 के आंवटन शुदा रकबा पर पैतृक सम्पति के आधार पर अधिकार [illegible] है । जबकि प्रार्थीगण को किसी भी प्रकार के अधिकार प्राप्त नही [illegible] जैरवाद रकबा का वाद–पत्र पूर्व में माननीय उपखण्ड अधिकारी पद [illegible] जिसमें माननीय न्यायालय ने स्थगन

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.02.12 11:12:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

प्रार्थना–पत्र निरस्त कर दिया गया । इसके पश्चात उक्त तथ्यो को छिपाकर एक तरफा स्थगन आदेश जारी करवाया गया है । प्रार्थीगण का मात्र अप्रार्थी न0 1 की स्वअर्जित सम्पति / आवटन शुदा भुमि को हडपने के लिए मिथ्या कथनो के आधार पर एक तरफा स्थगन आदेश जारी करवाया गया है । अप्रार्थी न0 1 उक्त जेरवाद रकबा को आवटन से लेकर आज तक कब्जा काश्त बदस्तुर चला आ रहा है । अप्रार्थी न0 1 ने आवटन से लेकर कठोर मेहतन तथा आर्थिक खर्च से उक्त भुमि को काश्त किया जा रहा है । इंच मात्र भूमि भी प्रार्थीगण का नही दी गई है । इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र निराधार एवं कानून के विपरीत होने के कारण रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध स्थगन आदेश जारी नही किया जा सकता तथा दिनांक 26–06–2024 को एक तरफा तौर पर जारी स्थगन आदेश एवं प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया । तथा न्यायिक दृष्टात 2018 (2)CJ(Civ.)(SC) 559, 2020 RBJ (27) 286 प्रस्तुत किये गये ।

बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावैजो का गहनता से पठन व मनन किया गया। अप्रार्थी नं0 1 के नाम रोही टीलावाली के खाता सं0 39/39 खसरा न0 228/20 में 5.060 है0 बारानी एवं रोही टीलावाली के खसरा न0 120/3 में 5.060 है0 खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड दर्ज है जो जैरवाद भूमि स्वअर्जित सम्पति है । प्रार्थीगण के द्वारा बिना किसी दस्तावैजी आधार के अप्रार्थी न0 1 के आवंटन शुदा रकबा पर पैतृक सम्पति होना बताया गया है। जबकि प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना–पत्र में टी सी आवटन से पुख्ता आवटन होना स्वीकार किया गया है । जिसमें प्रार्थीगण को किसी भी प्रकार के अधिकार प्राप्त नही होते है । तथा प्रार्थीगण ने उक्त जैरवाद रकबा का वाद–पत्र पूर्व में माननीय उपखण्ड अधिकारी पदमपुर के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें माननीय न्यायालय ने स्थगन प्रार्थना–पत्र निरस्त कर दिया गया । अप्रार्थी न0 1 उक्त जेरवाद रकबा को आवटन से लेकर आज तक कब्जा काश्त बदस्तुर चला आ रहा है । इंच मात्र भूमि भी प्रार्थीगण का नही दी गई है । इन तथ्यो पर प्रार्थीगण के द्वारा कोई भी आपत्ति प्रस्तुत की गई और ना ही कब्जा सम्बन्धित कोई दस्तावैज प्रस्तुत किये गये प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 2010 RBJ (17) 178 सहकारस्तकार के विरूद्ध स्थगन से सम्बन्धित है। 2020 RBJ (27) 82 में गोदनामा के विवाद के आधार पर स्थगन आदेश के सम्बन्ध में है। 2014 RRT (1)209 में स्वअर्जित पुरी को पुरे परिवार की ईकाई मानते हुये आदेश जारी हुये है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत उक्त प्रकरण पर चस्पा नही होते है तथा 2014 RRT (1)209 को माननीय राजस्व मण्डल के द्वारा 2020 RBJ (27) 286 द्वारा ओवर रूल किया जा चुका है जिसके मुताबिक आवटन भूमि में आवटन परिवार की ईकाई नही माना जाता तथा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत उक्त प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होते है। अप्रार्थी न0 1 उक्त जैरवाद रकबा आवटन होने के पश्चात खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये है। तथा अप्रार्थी न0 2 व 3 के विरूद्ध कोई अनुतोष नही होने के कारण प्रार्थना–पत्र का निर्णय किया जाता है। इसलिए रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध जारी किया गया एक तरफा स्थगन आदेश निरस्त किया जाना उचित समझते है।

उक्त विवेचना अनुसार अप्रार्थी नं0 1 के नाम वाके रोही टीलावाली के खाता सं0 39/39 खसरा न0 228/20 में 5.060 है0 बारानी एवं रोही टीलावाली के खसरा न0 120/3 में 5.060 है0 खातेदारी भूमि के विरूद्ध प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी ए तथा एक तरफा जारी स्थगन आदेश दिनांक 26–06–2024 निरस्त किया जाता है। पत्रावली बांद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 10.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.02.12 11:12:11 IST
Reason: SelfAttested

(संदीप कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
(राजस्व) सूरतगढ

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)